



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072023-247476
CG-DL-E-20072023-247476

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504]
No. 504]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2023/आषाढ़ 29, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2023/ASHADHA 29, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2023

संदर्भ: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (650).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनूसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 11852 : 2019 स्वचल वाहन — ब्रेकिंग संबंधी एम 2, एम 3, एन और टी श्रेणी के वाहनों की स्वीकृति से सम्बद्ध एक समान प्रावधान (तीसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 जुलाई 2023	10 जुलाई 2023	9 अगस्त 2023
2	आई एस 12832 : 2010 स्वचल वाहन — भीतरी शोर — मापन पद्धति एवं अपेक्षाएँ (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 जुलाई 2023	10 जुलाई 2023	9 अगस्त 2023
3	आई एस 13917 : 2003 खान में उद्वहन के लिए लड़दार रस्सियाँ — तकनीकी वितरण अपेक्षाएँ (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 जुलाई 2023	10 जुलाई 2023	9 अगस्त 2023

पी राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी, टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./285/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2023

Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (650).— In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 11852 : 2019 Automotive Vehicles — Uniform Provision Concerning the Approval of Vehicles of Categories M, N and T with Regard to Braking (Third Revision)	Amendment No. 2 July 2023	10 July 2023	9 August 2023
2	IS 12832 : 2010 Automotive Vehicles — Interior Noise — Method of Measurement and Requirements (First Revision)	Amendment No. 1 July 2023	10 July 2023	9 August 2023
3	IS 13917 : 2003 Stranded Wire Ropes for Mine Hoisting — Technical Delivery Requirements (First Revision)	Amendment No. 2 July 2023	10 July 2023	9 August 2023

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./285/2023-24]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072023-247477
CG-DL-E-20072023-247477

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505]
No. 505]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2023/आषाढ़ 29, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2023/ASHADHA 29, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2023

संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (651).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 790 : 2023 पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठों के लिए दिशानिर्देश (दूसरा पुनरीक्षण)	10 जुलाई 2023	आई एस 790 : 1987 पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठों के लिए दिशानिर्देश (पहला पुनरीक्षण)	10 अगस्त 2023

2	आई एस 2697 : 2023 खाद्य उद्योग के लिए अमोनियम बाइकार्बोनेट — विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	10 जुलाई 2023	आई एस 2697 : 1976 खाद्य उद्योग के लिए अमोनियम बाइकार्बोनेट के लिए विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	10 अगस्त 2023
3	आई एस 2962 : 2023 कृत्था के नमूना लेने और परीक्षण की विधियाँ (पहला पुनरीक्षण)	10 जुलाई 2023	आई एस 2962 : 1964 कृत्था के नमूना लेने और परीक्षण की विधियाँ	10 अगस्त 2023
4	आई एस 5056 : 2023 कोलतार खाद्य रंग — सामान्य नाम (पहला पुनरीक्षण)	10 जुलाई 2023	आई एस 5056 : 1969 कोलतार खाद्य रंग के सामान्य नाम	10 अगस्त 2023
5	आई एस 7140 : 2023 चित्रण एवं चित्रित शोधन के सुधार — प्रतीक और अंकन (पहला पुनरीक्षण)	10 जुलाई 2023	आई एस 7140 : 1971 चित्रण एवं चित्रित शोधन के सुधार के लिए प्रतीक और अंकन	10 अगस्त 2023
6	आई एस 8010 (भाग 1) : 2023 तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश भाग 1 अनुसंधान और विकास रिपोर्ट (पहला पुनरीक्षण)	10 जुलाई 2023	आई एस 8010 (भाग 1) : 1976 तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश भाग 1 अनुसंधान और विकास रिपोर्ट	10 अगस्त 2023
7	आई एस 8010 (भाग 2) : 2023 तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश भाग 2 व्यवहार्यता रिपोर्ट (पहला पुनरीक्षण)	10 जुलाई 2023	आई एस 8010 (भाग 2) : 1982 तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश भाग 2 व्यवहार्यता रिपोर्ट	10 अगस्त 2023
8	आई एस 11913 : 2023 टर्ट-ब्यूटाइलहाइड्रोक्वीनोन — विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	10 जुलाई 2023	आई एस 11913 : 1986 टर्ट-ब्यूटाइलहाइड्रोक्वीनोन के लिए विशिष्टि	10 अगस्त 2023

पी राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी , टी एन एम)
विज्ञापन-III/4/असा./286/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2023

Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (651).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072023-247478
CG-DL-E-20072023-247478

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503]
No. 503]

नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2023/आषाढ 29, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 20, 2023/ASHADHA 29, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2023

संदर्भ: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (649)—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 19022 : 2023 चिकित्सीय वस्त्रादि — बैरियर फेस कवरिंग —	संशोधन संख्या 1 जुलाई 2023	10 जुलाई 2023	9 अगस्त 2023

	विशिष्ट			
--	---------	--	--	--

पी राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी , टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./284/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2023

Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (649).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 19022 : 2023 Medical Textiles — Barrier Face Covering — Specification	Amendment No. 1 July 2023	10 July 2023	9 August 2023

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT and TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./284/2023-24]